न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2019/00060 **दायरा दिनांक : 15.04.2019**

उनवान

1– बाबूलाल, आयु 50 वर्ष पुत्र श्री जगन्नाथ
2– हरदीश आयु 32 वर्ष पुत्र श्री हजारीलाल
3– किशनगोपाल आयु 55 वर्ष पुत्र श्री जगन्नाथ
4– हीरालाल आयु 42 वर्ष पुत्र श्री मदनलाल
5– जुगराज आयु 32 वर्ष पुत्र श्री नन्दकिशोर
जातिगण मीणा, निवासीगण खेड़ली केशो मजरा रामपुरिया, तहसील बारां, जिला बारां राज0

.... अपीलांट

बनाम

1– रघुनाथ पुत्र श्री रूपा, जाति मीणा, निवासी खेड़ली केशो मजरा रामपुरिया, तहसील बारां, जिला बारां राज0 (मृतक)
1/1– लेखराज, आयु 57 वर्ष पुत्र रघुनाथ
1/2– हरिशंकर, आयु 37 वर्ष पुत्र रघुनाथ
1/3– कल्याणी, आयु 75 वर्ष बेवा रघुनाथ
1/4– प्रताप बाई पुत्री रघुनाथ
1/5– रामचंदी बाई पुत्री रघुनाथ
1/6– कमलेश बाई पुत्री रघुनाथ
1/7– उर्मिलाबाई पुत्री रघुनाथ
अकवाम मीणा, निवासीगण मजरा रामपुरिया, तहसील बारां, जिला बारां राज0
2– राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बारां, जिला बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बी. एल. जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री राजेन्द्र कुमार पंचौली अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 11.07.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 188/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वाके पीलियां/खेडली केशो, तहसील बारां में वादीगण की कृषि भूमियां खसरा नं. 203, 210, 209 स्थित है तथा आबादी

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भूमि खसरा नं. 201 स्थित है। उक्त आराजियात पर आने जाने का रास्ता खसरा नं. 206, 208, 224 में होकर नक्शा ट्रेस अनुसार स्थित है। उक्त आम रास्ता ही वाद का विषय वस्तु है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2018 से वाद वादीगण खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं करने में भारी भूल की है। उपरोक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार था जिसमें तारीख पेशी 11.12.2017 तनकीयात में नियत थी, इसके बाद तारीख पेशी 15.01.2018 उसके बाद 15.02.2018 उसके बाद 28.03.2018 तथा उसके बाद 08.05.2018 दी गई, इसके बाद राजस्व अभियान शुरू हो गये तथा कोई तारीख पेशी नहीं दी गई। दिनांक 29.05.2018 को पत्रावली लोक अदालत केम्प कोर्ट में पेश हुई तथा आदेशिका लिख दी गई कि वादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आये तथा लिख दिया कि प्रतिवादी स्वयं उपस्थित है। प्रतिवादीगण ने कथन किया कि वादीगण ने झूठा व विधि विरूद्ध वाद पेश किया है। प्रतिवादी का जवाब का अवलोकन किया। जबकि पत्रावली वास्ते तनकीयात नियत थी, वादीगण उपस्थित नहीं थे तथा अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपने वाद को प्रमाणित करवाने में सफल नहीं रहने के कारण खारिज कर दिया गया तथा डिक्री भी दिनांक 29.05.2018 को केम्प तिसाया में जारी कर दी गई जिसकी अपीलांट को कोई सूचना नहीं दी गई, जबकि पत्रावली वास्ते तनकीयात थी, न कोई तनकी बनायी गई, इस कारण निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। दिनांक 29.05.2018 के बाद वादीगण को कोई सूचना नहीं दी गई एवं दिनांक 16.11.2018 को प्रतिवादी क्रम 1 रघुनाथ की मृत्यु हो गई। इस कारण रेस्पोडेंट क्रम 1/1 ता 1/7 को उसका वारिस व उत्तराधिकारी होने के कारण उसके पुत्र व पुत्रियां व बेवा हैं, जिनको पक्षकार बनाकर यह अपील पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालसय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2018 निरस्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 08.01.2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवायी का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का लोक अदालत में निर्णय पारित किया है, जबकि लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है, जिसमें उभयपक्षकारान ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करते हैं। विधिक राजीनामे के अभाव में सी. पी. सी. के प्रावधानों के अनुसार जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है। इस प्रकरण में बिना पक्षकार के राजीनामें के गुणावगुण के आधार पर लोक अदालत में सी. पी. सी. के प्रावधानों की पालना किये बिना निर्णय पारित किया गया है,

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जो त्रुटिपूर्ण है। राजीनामे के अभाव में जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया गया। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आदेशिका के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 11.12.2017 को पत्रावली तनकी कायमी में नियत थी। दिनांक 29.05.2018 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में निर्णित कर दिया गया। रेस्पोडेंट का कथन है कि सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय होने से क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही खारिज किया गया।

हमारी राय में न्यायालय द्वारा निर्णय सी.पी.सी. के आज्ञापक प्रावधानों का पालन कर किया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में वादी को साक्ष्य सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला। साक्ष्य सुनवाई का अवसर नहीं देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। यदि न्यायालय को प्रतीत होता है कि प्रकरण क्षेत्राधिकार से बाहर का है तो भी प्रकरण में इस बिन्दु पर तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर निर्णय किया जाना चाहिए।

प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आज्ञापक प्रावधानों तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का घोर उल्लंघन होने से अधीनस्थ न्यायालय का फैसला निरस्त किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2018 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण को जवाब का अवसर देकर तनकीयात कायम कर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.10.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा